सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 9 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 19 – 26 फरवरी 2018 मूल्य पांच रूपए

प्रदेश में कितने एसीएस हो सकते हैं केन्द्र को दो माह में फैसला लेने के निर्देश

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार के दौरान जब 1983 बैच के आईएएस अधिकारी वीसी फारखा को उनके वरिष्ठ अधिकारियों को नज़रअन्दाज करके प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था तो इनसे वरिष्ठ प्रदेश में कार्यरत विनित चौधरी और उपमा चौधरी प्रोटैस्ट लीव पर चले गये थे और इस नज़र अन्दाज़गी के खिलाफ एक प्रतिवेदन भी सरकार को दिया था लेकिन इस प्रतिवेदन पर जब सुनवाई नही हुई तब अन्ततः विनित चौधरी ने कैट में इसको लेकर एक याचिका डाल दी। विनित चौधरी को न केवल नज़रअन्दाज ही किया गया था बल्कि उन्हे फारखा का अधिनस्थ बना दिया गया था। इस विसंगति का संज्ञान लेते हुए कैट ने अन्तरिम राहत देते हुए विनित चौधरी को फारखा के समकक्ष बनाये जाने और समानान्तर पोस्टिंग देने के आदेश कर दिये थे लेकिन शेष मामला विचारधीन ही चलता रहा।

अब जब चुनावों के बाद सरकार बदल गयी तब जयराम सरकार ने प्रशासन के शीर्ष पर हुई इस नज़रअन्दाजगी को दूर करते हुए विनित चौधरी को फारखा की जगह प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। लेकिन मुख्य सचिव बन जाने के बाद भी कैट में यह मामला चलता रहा और अब इस पर फैसला आया है। हालांकि विनित चौधरी की नज़रअन्दाजगी का मामला उनके मुख्य सचिव बन जाने से स्वतः ही समाप्त हो गया था और इसी आधार पर चौधरी ने कैट से मामला वापिस भी ले लिया। लेकिन इसमें नज़रअन्दाजगी के अतिरिक्त यह भी आरोप था कि मुख्य सचिव का चयन करने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा जो सोलह अधिकारियों की सूची मुख्यमन्त्री के सामने रखी गयी थी वह सूची ही नियमो के मुताबिक अनाधिकृत थी। क्योंकि इस का दायरा शीर्ष चार अधिकारियों तक ही रखा जाना चाहिये था क्योंकि चार अधिकारी ही नियमानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव हो सकते थे और जब फारखा को एसीएस बनाया गया था तब काडर में यह पद उपलब्ध ही नही था। प्रदेश में आईएएस अधिकारियो की कुल संख्या 147 है जिसमें डायरैक्टर आईएएस की संख्या 103 है। लेकिन आईएएस की काडर पोस्टे केवल 80 ही है। इनमें भी सीएस–1 और एसीएस भी

–1 ही काडर पोस्ट है। 1954 के आईएएस के नियुक्ति नियमों के मुताबिक जितनी काडर में स्वीकृत पोस्टें होंगी उतनी ही काडर के बाहर भी सृजित की जा सकती हैं। इस आधार पर प्रदेश में मुख्य सचिव के बाद केवल चार ही अतिरिक्त मुख्य सचिव हो सकते हैं। इन चार के अतिरिक्त और एसीएस केवल काम की आवश्यकता के अनुसार केवल दो वर्ष के लिये ही बनाये जा सकते हैं और दो वर्ष के बाद उन्हे रिव्यू किया जायेगा। विनित चौधरी की याचिका में आरोप लगाया गया था कि That the note artificially expands the list of officers who are eligible to be considered for appointment as Chief Secretary by including officers holding posts of Additional Chief Secretary that have been created in contravention of the IAS Pay Rules and the IAS Cadre Rules and Government of India instructions disallowing creation of posts in the apex grade under the 2nd proviso to Rule 4(2) of the IAS Cadre Rules.

That the note indicates that all 16 officers have been placed in the apex grade after due screening by the screening committee which is factually incorrect because respondent No. 3 Sh VC Pharka along with Respondent no 4, was granted the Chief Secretary's grade without any consideration by the Screening Committee and was, therefore,

विनीत चौधरी की याचिका से उठा सवाल

not eligible for being considered for appointment to the post of Chief Secretary.

That the note fails to draw attention to the fact that recommendation of the Civil Services Board was now mandatory for making any appointment to cadre posts after amendment in the IAS (Cadre Rules) in pursuance of the Supreme Court's judgment in the TSR Subramanian case and consequential amendments in the IAS Cadre Rules.

Two officers of the 1983 batch viz Upma Chawdhry and Vidya Chander Pharka were promoted to the Chief Secretary's grade on 04.03.2014 by upgrading two posts of Principal Secretary to the Govt out of which one post was to re-convert to the post of Principal Secretary on 30.4.2015. The apex scale was released without any assessment by the Screening Committee. As per information obtained under RTI, no information about the meeting of the Screening Committee is available with the State Govt.

विनित चौधरी की याचिका में प्रदेश सरकार के अतिरिक्त केन्द्र सरकार को भी पार्टी बनाया था। इस याचिका का यह आरोप विनित चौधरी के मुख्य सचिव बन जाने के बाद भी अपनी जगह खड़ा रहता है। अब जब चौधरी ने अपनी याचिका वापिस ले ली है तब इसके बावजूद भी कैट के सामने यह सवाल रहा कि क्या ऐसे एसीएस बनाया जाना कितना सही है। कैट ने इस सवाल को केन्द्र के कार्मिक विभाग के गले बांधते हुए उसे दो माह के भीतर निपटाने के निर्देश दिये हैं। केन्द्र सरकार इस मामले में स्वतः ही पार्टी रही है और पार्टी होने के नाते निर्देश भी स्वतः ही उसके संज्ञान में चले जाते हैं। इन निर्देशों पर फैसला लेना केन्द्र सरकार के कार्मिक विभाग की अनिवार्यता बन जाती है भले ही इस पर विनित चौधरी केन्द्र को अलग से प्रतिवेदन दें या न दें।

अब संयोगवश केन्द्र का कार्मिक विभाग प्रदेश के आईएएस का काडर रिव्यू करने जा रहा है। इस रिव्यू में डायरैक्टर आईएएस की संख्या बढ़ाई जाती है या नही के साथ यह भी देखना होगा कि वर्तमान में प्रदेश में आईएएस की काडर पोस्टे केवल 80 ही है। क्या रिव्यू में काडर पोस्टें भी बढ़ती हैं या नही और यदि बढ़ती है तो किस स्तर पर बढ़ती है। इस समय मुख्य सचिव बनाये जाने के लिये जो नियम हैं उसमें बतौर आईएएस केवल 30 वर्ष का सेवाकाल ही पूरा चाहिये। जिसका सीधा सा अर्थ है कि जिस भी अधिकारी का 30 वर्ष का सेवाकाल पूरा हो जाता है उसे मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। इस 30 वर्ष के सेवाकाल में यह शर्त नही है कि वह इसके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हो। बल्कि जिन लोगों का 30 वर्ष का सेवाकाल पूरा हो जाता है उनमे से किसी को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है।

इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य सचिव बनने के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव होना कोई अनिवार्यता नही है केवल 30 वर्ष का सेवाकाल ही चाहिये। ऐसे में क्या 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हर अधिकारी को एसीएस बना दिया जाना चाहिये या इसके लिये काडर में स्वीकृत पदों तक ही सीमित रहना चाहिये इसका फैसला करने के लिय कैट ने केन्द्र को दो माह का समय दिया है। अब प्रदेश के काडर रिव्यू के मौके पर इस मुद्दे पर भी विचार किया जाता है या नही इस पर सशंय बना हुआ है। वैसे काडर से अधिक एसीएस हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में बनाये गये हैं। फिर हिमाचल में आईपीएस और आईएफएस में भी काडर से अधिक पदोन्नत्तियां दी गयी है। ऐसे में यदि आईएएस के लिये यह फैसला लागू किया जाता है तो फिर आईपीएस और आईएफएस में भी यह लागू करना पड़ेगा और इससे पूरे शीर्ष प्रशासन में बहुत कुछ बदल जायेगा। ऐसे में इस फैसले पर अमल करना सरकार के लिये बहुत आसान नही होगा।

राज्यपाल द्वारा प्रदेश की समृद्ध संस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर बल

शिमला/शैल। राज्यपाल देवव्रत ने मंडी में सप्ताह भर चले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हम हिमाचल के लोग देव संस्कृति के उच्च मूल्यों का सम्मान करते हैं क्योंकि यह राज्य की उन्नति में मदद करते हैं।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि 'भगवान शिव मानवता के कल्याण के प्रतीक हैं और भगवान शिव के नाम पर हर वर्ष मनाया जाने वाला यह महोत्सव मानवता में हमारा विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमें देव संस्कृति के नाम पर बुराईयों तथा गलत परम्पराओं को नहीं अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शिवरात्रि भगवान शिव का त्यौहार है और उन्होंने ही पहली बार योग को मानवता के लिए प्रचारित किया था। उन्होंने कहा कि त्रिशूल समाज में बुरे तत्वों के विनाश का प्रतीक है। उन्होंने विश्व के कल्याण का संदेश दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तथाकथित कुछ धार्मिक लोग इसको अन्यथा परिभाषित करते हैं। राज्यपाल ने चिंता जाहिर की कि इस तरह के लोग अपने हितों के लिए हमारे महान आध्यात्मिक विचारकों को और तरह से लेते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले और त्यौहार अपने आप में अनूठे हैं और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इन उत्सवों के दौरान रिति-रिवाजों के समृद्ध रंगों को खुशहाली के लिए संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी पहचान एक महान राज्य एवं राष्ट्र के रूप में होती है।

राज्यपाल ने कहा कि मेले और त्यौहार लोगों को नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ निःस्वार्थ भाव से पीड़ित मानवता की सहायता करने में मददगार होते हैं और हमें इनमें बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समाज से सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। उन्होंने युवाओं से समृद्ध संस्कृति का सम्मान करने तथा इसे आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, आधुनिकता तथा हमारी बेजोड़ संस्कृति की रीढ़ हमारी पुरानी परम्पराओं के बीच सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता है।

इससे पूर्व, आचार्य देवव्रत ने माधोराय मंदिर में पूजा-अर्चना की और जलेब शोभा यात्रा में भी भाग लिया। वह 'भोज' में भी शामिल हुए।

राज्यपाल ने विभिन्न विभागों तथा संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का दौरा किया और प्रदर्शित किए गए उत्पादों में गहरी रूचि दिखाई।

रासायनिक कृषि जमीन की उर्जाऊ क्षमता के लिए घातक: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई दिल्ली में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय द्वारा 'कृषि-2022-किसानों की आय को दोगुना' करने पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में नीति निर्माताओं और कृषि विशेषज्ञों के बीच प्राकृतिक खेती की अवधारणा को मजबूती के साथ रखा।

उन्होंने वर्तमान परिवेश में शून्य लागत प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि रासायनिक तथा जैविक खेती के मुकाबले प्राकृतिक खेती अपनाना लाभकारी है, जो पारम्परिक है और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने में मददगार है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती ने हमारी उपजाऊ कृषि भूमि को बर्बाद कर दिया है और जैविक, जो एक महंगी खेती है, का किसानों की आर्थिकी में सुधार की दिशा में कोई प्रभाव नजर नहीं आता। इसलिए किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लक्ष्य हासिल करने का एक मात्र विकल्प प्राकृतिक खेती की दिशा में बढ़ना है। हरियाणा राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हिरास तथा पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के वैज्ञानिकों के निष्कर्षो का हवाला देते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी के पोषक तत्वों को बेहतर बनाने की क्षमता है। उन्होंने प्राकृतिक खाद तैयार करने के तरीकों को भी समझाया और कहा कि इस पर शून्य लागत आती है और फायदे बहुत अधिक हैं। उन्होंने कहा कि खाद को चार दिनों में तैयार किया जा सकता है और छः महिनों से अधिक समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक खाद के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला और कुरूक्षेत्र के गुरूकुल में अपने खेतों के अनुभव को भी साझा किया। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेक कृषि आधारित योजनाएं एवं नीतियां शुरू की जा रही हैं और आशा जताई कि संयुक्त प्रयासों से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कृषि आधारित सुधारों और बजट पहल का भी सुझाव दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय सम्मेलन में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के निष्कर्षों तथा महत्वपूर्ण सुझावों से कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने तथा किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी।

पुलिस महानिदेशक ने जारी की सौ दिन की कार्य योजना

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 100 दिनों के एक्शन प्लान के अन्तर्गत अन्य लक्ष्यों के अतिरिक्त मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने, खनन माफिया व वन माफिया के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त लक्ष्य की अनुपालना में पिछली अवधि में पुलिस विभाग द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया गया है। मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए 179 व्यक्तियों, जिनमें 12 नेपाली भी शामिल हैं, के विरूद्ध 150 अभियोग पंजीकृत कि, गए हैं जिनसे 59-499 किलोग्राम चरस, 1544 ग्राम अफीम, 158-1 किलोग्राम चूरा पोस्त, 58-48 किलोग्राम गांजा, 151-6 ग्राम हेरोइन, 19-83 ग्राम कोकीन, 7-92 ग्राम स्मैक व 19200 रूपये बरामद कि, गए हैं। मादक पदार्थ को पकड़ने वाले 25 पुलिस कर्मचारियों में से 01 को डी.जी.पी. डिस्क व 24 कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र व 8400 रूपये पुरस्कार के तौर पर स्वीकृत किए गए हैं।

उपरोक्त अवधि में खनन माफिया के विरूद्ध पुलिस द्वारा खनन अधिनियम (Minining Act) के अंतर्गत 589 चालान कि, गए हैं, जिनमें से पुलिस द्वारा 454 चालानों को कम्पाउंड करके 32-66 लाख/- रूपये की राशि दोषियों से जुर्माने के तौर पर प्राप्त की है। 135 चालानों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिनमें से 16 चालानों में अदालतों द्वारा दोषियों को 1,53,801/- रूपये की राशि जुर्माने के तौर पर अदा करने के आदेश पारित कि, गए हैं जबकि शेष 119 चालान न्यायालय में विचाराधीन हैं।

वाहन दुर्घटनाओं को रोकने एवं मोटर वाहन अधिनियम को कठोरता से लागू करने की दिशा में इस अवधि में शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिये 478 चालान, बिना हैलमेट के दुपहिया वाहन चलाने के लिए 16871, तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाने के 1321, गाडी चलाते हुए मोबाईल फोन सुनने के 1323, बिना सीट बैल्ट पहनकर गाड़ी चलाने के 12961, व्यक्तियों के व ओवर लोड़िंग के 09 चालान करके उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही अमल में लाई गई है।

वन माफिया के विरूद्ध भी पुलिस विभाग द्वारा इस अवधि में 47 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं जिसमें 1-2 करोड़ रूपये की वन संपदा संलिप्त है। इन अभियोगों में अभी तक 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें लगभग 83-69 लाख रूपये की सम्पति को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है।

गुड़िया हैल्पलाइन के अंतर्गत दिनांक 26-01-2018 से 22-02-2018 तक 118 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 113 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा शेष 05 शिकायतों में कार्यवाही की जा रही है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"E-PROCUREMENT NOTICE"
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer, Chamba Division, HPPWD Chamba -176310 H.P. on behalf of Governor of Himachal Pradesh, invites the items rate bids, in electronic tendering system, for construction of the following works from the eligible and approved contractors registered with HPPWD.

Sr.No.	Division	Description of Work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Cost of tender form (Rs.)	Class	Completion period
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chamba	Annual Maintenance of Chamba Khajjiar road Km. 7/0 to 9/0 (SH:- P/L Bituminous Concrete)	17,98,943/-	34,500/-	500/-	D & above	One Month
2.	Chamba	Annual Maintenance of Chamba Khajjiar road Km.12/0 to 14/0 (SH:- P/L Bituminous Concrete)	16,85,540/-	32,800/-	500/-	D & above	One Month

1. AVAILABILITY OF BID DOCUMENT AND MODE OF SUBMISSION: The bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website **http://hptenders.gov.in.** Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized certifying Authorities (CA) "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website **http://hptenders.gov.in** Digital Signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

2. KEY DATES:

Date of Online Publication:	01-03-2018 10.00 Hours.
1. Document download Start and End date:	01-03-2018 10.00 Hours upto 23-03-2018 11.00 Hours.
2. Bid Submission Start and End date:	01-03-2018 10.00 Hours up 23-03-2018 11.00 Hours.
3. Date of Technical Bid Opening:	23-03-2018 11.30 Hours.

4. Submission of original Documents: The original instruments in respect of cost of documents and EMD should be submitted to the tender inviting Authority i.e. Executive Engineer, Chamba Division, HPPWD Chamba by registered post/ courier latest (3) working days from the day of technical bid opening i.e. upto 26-03-2018 upto 5.00 PM and thereafter no documents will be entertained . This office is not responsible for any postal delay /Courier services and any other type of Transportation services

5. TENDER DETAILS.

The Tender Document shall be uploaded online in 2 cover.

Cover 1: Shall contain scanned copies of all "Technical Documents/Eligibility information".

Cover 2: Shall contain "BOQ/Financial Bid" where contractor will quote his offer for each item.

6. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money deposit (EMD) and other Technical Documents in O/o Executive Engineer, Chamba Division, HPPWD Chamba as specified in key dates Sr. No. 4 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.

7. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened **on 23-03-2018 11.30** hours in the office of the Executive Engineer, Chamba Division, HPPWD Chamba by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

8. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than ninety /one hundred twenty days after the deadline date for bid submission.

9. OTHER DETAIL CAN BE SEEN IN THE BIDDING DOCUMENTS: The officer inviting tender shall not be held liable for any delay due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

10. The tender will be accepted of those Contractors /Firms who possess own Hot Mix Plant and who possess own Paver Finisher, documentary proof for the same will have to be furnished by the Contractor. No. affidavit /transfer of machinery through the process of sale/purchase will be entertained

11. The tender will be accepted of those Contractors /Firms who have successfully executed minimum one similar work done of amount not less than 40% (Forty percent) of the estimated cost (Without liquidated Damage or compensation) in last five years , documentary proof for the same will have to be furnished by the Contractor. One work done certificate shall be considered only for one similar work/job and for other work/job the work done certificate be separate for each work.

The undersigned has right to extend or cancel the bids without declaring any reasons there-of.

Adv. No.-4010/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

''शैल'' साप्ताहिक के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित विवरण

1. प्रकाशन स्थान	:	शैल कार्यालय ऋचा पिंर्टज एण्ड पब्लिशर्ज लक्कड़ बाजार शिमला
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	बलदेव शर्मा
4. राष्ट्रीयता	:	भारतीय
5. प्रकाशक का नाम	:	बलदेव शर्मा
6. पता	:	ऋचा पिंर्टज एण्ड पब्लिशर्ज रिवोली बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार शिमला
7. सम्पादक का नाम	:	बलदेव शर्मा
8. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समाचार पत्र के स्वामी और भागीदार या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक सांझेदार/हिस्सेदार हों	:	कोई नही

मैं बलदेव शर्मा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

(बलदेव शर्मा)

वर्ष 2018-19 के लिए 6300 करोड़ रुपये आकार की वार्षिक योजना स्वीकृत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए 6300 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकृत की गई। योजना में 10.51 फीसदी की बढ़ौतरी की गई है

और यह पिछले वर्ष के 5700 करोड़ रुपये के मुकाबले 600 करोड़ रुपये अधिक है।

वार्षिक योजना में सामाजिक सेवा क्षेत्र, परिवहन तथा संचार, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों, ऊर्जा, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण इत्यादि को अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान की गई है।

सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 2548 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है और 1095 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित परिवहन तथा संचार को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीसरी प्राथमिकता कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों को दी गई है और इसके लिए 844 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र के लिए 682 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए 431 करोड़ रुपये, सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए 285 करोड़ रुपये, जबकि अन्य क्षेत्रों में 415 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड से ऋण पोषित ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ) के अंतर्गत 653 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत सड़कों तथा पुलों के लिए 368 करोड़, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 130 करोड़, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 110 करोड़, सूक्ष्म सिंचाई तथा पॉलीहाउस के अलावा बाढ़ नियंत्रण तथा स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति क्षेत्रों के लिए 38 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एच.सी. शर्मा की पुस्तक 'स्ट्रैटजी फ र डब्बलिंग फार्म इनकम इन हिमाचल प्रदेश' का विमोचन किया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार, वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने बैठक में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री ने दिए नालागढ़-स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग को पूरा करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन जिले के विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ के निचला खेड़ा में जनसभा को सम्बोधित करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नालागढ़-स्वारघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य 30 जून, 2018 तक पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बंगाना कॉलोनी से चौंकीवाला सड़क के निर्माण तथा पांच करोड़ रुपये की लागत से चौकीवाल से ढेरोवाल सड़क के नवीकरण के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नालागढ़ में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से जुड़ी मांग का मामला केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उठाया जाएगा और शीघ्र ही इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों का बिना किसी भेदभाव से समान विकास करेगी और यह बात मायने नहीं रखती है कि विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व भाजपा अथवा कांग्रेस के विधायक द्वारा किया जा रहा है। मेरे लिए प्रदेश के सभी लोग एक समान है और मेरी सरकार सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सरकार के लगभग 54 दिनों में किए गए कार्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं और वे सरकार से इसका उत्तर जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने क्या किया है और कितनी भूल की है, राज्य की जनता उनसे जबाव चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य को कर्ज में धकेल कर रख दिया और प्रदेश पर 46,500 करोड़ रुपये का ऋण है। चुनाव के नजदीक कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी बजट प्रावधान के बे-हिसाब परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में प्रदेश को सेवानिवृत अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा था, जो राज्य के लोगों के कल्याण के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कार्य कर रहे थे। ये थके-हारे सेवानिवृत अधिकारी एकमात्र कांग्रेसी नेता के स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ऐसे अधिकारियों को घर बैठा दिया है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने निचला खेड़ा, खेड़ा घराट, गांवों के समूह के लिए 2.20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। इस योजना क्षेत्र के पांच गांवों की 3242 आबादी लाभान्वित होगी।

ट्रक ऑपरेटर संघ नालागढ़ ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपये के अंशदान का चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए संघ का आभार व्यक्त किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने वर्तमान सरकार द्वारा बिना आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये आयुसीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने के निर्णय के अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना की।

पूर्व विधायक के. एल. ठाकुर ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने नालागढ़-स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। इसके लिए पहले ही 121 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं और पूर्व सरकार के कार्यकाल में इस कार्य में बेवजह देरी की गई। उन्होंने अनुमानित 2.63 करोड़ रुपये की लागत की बंगाणा कॉलोनी से चौंकीवाला सड़क को चौड़ा करने का आग्रह किया। उन्होंने चौंकीवाला से ढेरोवाल सड़क की मुरम्मत करने तथा विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण का भी आग्रह किया। उन्होंने 50 गांवों को लाभान्वित करने वाली रामशहर पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य शीघ्र आरम्भ करने तथा नालागढ़ में ट्रामा सेंटर स्थापित करने के लिये भी आग्रह किया।

विधायक परमजीत सिंह (पम्मी) व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विद्युत चालित टैक्सियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार: परिवहन मंत्री

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री गोबिन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा शिमला में चलाई गई विद्युत चालित टैक्सियों ने सुचारू रूप से संचालन शुरू कर दिया है। गत दिनों मुख्यमंत्री द्वारा हरी झण्डी दिखाने के उपरान्त शिमला शहर में सभी चिन्हित रूटों पर टैक्सियों ने पहले ही दिन लगभग 275 किलोमीटर का सफर सफलतापूर्वक तय किया और वर्तमान में इसकी औसत 450 किलोमीटर तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि इन टैक्सियों में सफर करने के लिए आम जनता में भारी उत्साह देखा गया है। पहले ही दिन लगभग 500 लोगों ने इनमें सफर किया।

परिवहन मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां प्रायोगिक आधार पर इन पर्यावरण मित्र टैक्सियों को चलाया जा रहा है। यहां तक की मैदानी क्षेत्रों वाले राज्यों में भी इस प्रकार के वाहनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश सरकार टैक्सियां की सौ फीसदी सफलता के उपरांत इनकी संख्या बढ़ाकर इनका फ्लीट बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि पैट्रोल की भी राष्ट्रीय बचत की जा सकेगी। इस समय परिहवन निगम द्वारा इलैक्ट्रिक बसों को भी इसी प्रकार प्रयोग के तौर पर कुल्लू-मनाली के आस-पास के इलाकों में चलाया जा रहा है। यदि यह प्रयोग सफल रहते हैं तो भविष्य में अनके दूरगामी परिणाम होंगे।

परिवहन मंत्री ने निगम के अधिकारियों को इन टैक्सियों के सुचारू व नियमित संचालन के निर्देश दिए ताकि लोगों में इनकी लोकप्रियता बढ़े और पर्यावरण मित्र ऐसे वाहनों को राज्य में अधिक से अधिक संख्या में प्रोत्साहित किया जा सके।

3441 सिलेण्डरों का किया गया वजन 11 गैस कम्पनियों के विरूद्ध मामले दर्ज

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कहा कि उन्हें राज्य के विभिन्न भागों से एलपीजी सिलेण्डरों में गैस की मात्रा कम होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उन्होंने सम्बन्धित विभाग को सिलेण्डरों का निरीक्षण करने के आदेश दिए थे। इस कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा माप व तोल विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षणों के दौरान सिलेण्डरों का वजन किया गया और तोल माप उपकरणों को भी चैक किया गया।

किशन कपूर ने बताया कि मौके पर विभिन्न भागों में 3441 सिलेण्डरों का वजन किया गया, जिनमें से 40 सिलेण्डरों का वजन निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करता था, जिस कारण इन सिलेण्डरों को जब्त कर लिया गया। इस सम्बन्ध में 11 गैस एजेंसियों के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-36 (2) के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किए गए, जबकि 8 एजेंसियों के विरूद्ध तोल-माप उपकरणों का सत्यापन न करवाने के कारण अभियोग दर्ज किए गए।

कपूर ने कहा कि इस तरह का अभियान एक साथ पूरे प्रदेश में पहली बार चलाया गया। उन्होंने कहा कि वह उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर संवेदनशील हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मंत्री ने इस सम्बन्ध में राज्य की सभी गैस एजेंसियों को अगाह किया है कि सभी सिलेण्डरों का वजन मापदण्डों के अनुसार हो और इसके बाद उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने चाहिए। उन्हेंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को गम्भीरता से लिया जाएगा।

निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मदन चौहान ने कहा कि इस प्रकार के निरीक्षण भविष्य में जारी रखें जाएंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आईजीएमसी में 24 घण्टे उपलब्ध होंगी जेनेरिक दवाईयां-स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान शिमला में नवम्बर 2015 से कार्यरत नि:शुल्क जेनेरिक औषधी केन्द्र द्वारा अभी तक विभिन्न बीमारियों के लिए लगभग 3 लाख मरीजों को नि:शुल्क दवाईयां उपलब्ध करवाई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नि:शुल्क जेनेरिक औषधी केन्द्र 22 फरवरी, 2018 से प्रति दिन 24 घण्टे खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिसूचित सभी दवाईयां मरीजों को नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी और ये दवाईयां इण्डोर तथा आउटडोर सभी मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। विपिन परमार ने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में नए सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ढांचागत विकास व चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टॉफ को देखना चाहती है और इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं।

खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा

शिमला/शैल। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री नें विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभाग ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए लॉच की है। उपभोक्ता इसे एप्प स्टोर से ईपीडीएसएचपी नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते है। आधार नम्बर से जुड़ा कोई भी राशन कार्ड मोबाईल एप्प में दिखाई देगा और डिजीटल राशन कार्ड की तरह ही कार्य करेगा। एप्प में उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए ऐनटाईटलमेंट केलकुलेटर की सुविधा दी गई है, जिससे उपभोक्ता मिलने वाले राशन की जानकारी प्राप्त कर सकता है। एप्प के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान की कार्य प्रणाली सम्बन्धित फीड बैक विभाग को दी जा सकती है। राशन के सम्बन्ध में शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। एप्प में एक मोबाईल का लोगो बना है, जिस पर छूने से विभाग के टॉल फी नम्बर 1967 पर स्वत: ही कॉल लग जाती है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि विभाग के तोल एवं माप संगठन द्वारा किए जाने वाले पंजीकरण व अनुज्ञप्तियों के लिए वैबसाईट www.hpwm.hp.gov.in विकसित की गई है। उन्होंने प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वह मोबाईल एप्प को डाउनलोड कर विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा का लाभ उठाएं और टॉल फी नम्बर 1967 का भी उपयोग करें।

दूध के लिए हथिनी पालने की जरुरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। ....चाणक्य

सम्पादकीय

मोदी सरकार से सवाल जन लोकपाल कहां है?

मोदी सरकार को सत्ता संभाले चार वर्ष हो गये हैं और अब अगले वर्ष मई तक चुनाव हो जाने हैं। इन चुनावों के लिये तैयारी भी शुरू हो गयी है। इसलिये चार वर्ष का समय किसी सरकार के कामकाज़ के आंकलन के लिये बहुत पर्याप्त समय कहा जा सकता है लेकिन मोदी सरकार के आकलन से पहले यह भी सामने रखना आवश्यक है कि जब मोदी ने बागडोर संभाली थी तब राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य क्या था। 2014 में जब चुनाव हुए और सत्ता बदली उससे पहले पूरा देश अन्ना आन्दोलन के प्रभाव में था और जन लोकपाल की स्थापना की मांग की जा रही थी क्योंकि इस आन्दोलन से पहले देश में घटे कुछ आर्थिक घोटालों को लेकर प्रशान्त भूषण की याचिकाओं ने एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया था जिसमें उस समय के यूपीए शासन को एकदम भ्रष्टाचार का पर्याय करार दे दिया था। इस भ्रश्टाचार पर लगाम लगाने के लिये जनलोकपाल की स्थापना सिविल सोसायटी की सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि एकमात्र मांग बन चुकी थी। उस समय 2जी स्कैम और कॉमन वैल्थ गेम्ज़ जैसे घोटाले हर बच्चे –बच्चे की जुबान पर आ चुके थे। 2जी स्कैम को लेकर विनोद राय की रिपोर्ट और कॉमन वैल्थ गेम्ज़ पर भी ऑडिट की रिपोर्ट आ चुकी थी जिनसे इन घोटालों की पुष्टि हो रही थी। इसलिये उस समय अन्ना आन्दोलन को खत्म करने के लिये सिविल सोसायटी के लोगों से सरकार की बातचीत जनलोकपाल विधेयक का मसौदा तक तैयार हुआ और संसद की दहलीज़ तक भी गया। अन्ना आन्दोलन को संचालित करने के लिये इंण्डिया अगेंस्ट क्रप्शन एक मंच तैयार हुआ जिसका पूरा नियन्त्रण संघ के हाथ में था। देश के सारे सामाजिक, और सांस्कृतिक संगठन इस आन्दोलन में कूद पड़े थे। श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के लोग भी कैण्डल मार्च करते देखे गये थे। इस आन्दोलन मे स्वामी रामदेव, स्वामी अग्निवेश और किरण बेदी जैसे लोगों की भूमिका क्या रही यह भी सारा देश जानता है। फिर इस आन्दोलन के प्रभाव का प्रतिफल लेने के लिये अलग अलग से एक राजनीतिक ईकाई खड़े करने के प्रश्न पर अन्ना और केजरीवाल में कैसे मतभेद पैदा हुए जिनके कारण आन्दोलन बन्द हुआ। अन्ना ने ममता बैनर्जी के साथ मिलकर कैसे पुन: आन्दोलन का आह्वान करने के लिये रामलीला मैदान मे जन बैठक करने की घोषणा की जो की सफल नही हो सकी और अन्ना को वापिस अपने घर आना पड़ा यह सब देश ने देखा है।

इस आन्दोलन की छाया मे लोकसभा के चुनाव हुए और जो संघ आन्दोलन का संचालन कर रहा था उसकी राजनीतिक ईकाई भाजपा को केन्द्र की सत्ता मिल गयी। इसी के साथ जो केजरीवाल इस आन्दोलन के एक प्रमुख पात्र बनकर उभरे थे उन्हे दिल्ली प्रदेश की सत्ता मिल गयी। जिस तरह का प्रचण्ड बहुमत भाजपा को केन्द्र के लिये, वैसा ही प्रचण्ड बहुमत केजरीवाल को दिल्ली के लिये मिल गया। मोदी और केजरीवाल दोनो ही अन्ना आन्दोलन के प्रतिफल हैं यह कहना अंसगत नही होगा। लेकिन क्या यह दोनों ही इस आन्दोलन का आधार बने मुद्दों की कसौटी पर आज खरे उत्तरे हैं तो निश्चित रूप से उत्तर एक बड़ी ''नहीं'' के रूप में होगा। क्योंकि इस जनान्दोलन में जिस जनलोकपाल की मांग की गयी थी वह आज कहीं दूर से भी दिखाई नही दे रहा है। इससे यह समझा जा सकता है कि वास्तव में ही संघ –भाजपा और मोदी व्यवहारिक तौर पर भ्रष्टाचार के कितने खिलाफ हैं। अभी 2जी स्कैम पर जिस तरह से अदालत का फैंसला आया है उससे भी मोदी की नीयत और नीति पर 'मुहर' लग जाती है। उस समय भ्रष्टाचार के साथ ही मंहगाई और बेरोजगारी दो और मुद्दे इस आन्दोलन के प्रमुख प्रश्न थे जो हर आदमी को सीधे छू रहे थे। इसलिये आज जब आंकलन किया जायेगा तो क्या उसके मानदण्ड यही मुद्दे नही बनेंगे। आज कोई भी ईमानदार व्यक्ति यह नही कह पायेगा कि भ्रष्टाचार, मंहगाई और बेरोज़गारी में कोई कमी आयी है।

भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों को उस दौरान प्रशान्त भूषण ने जन चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया था और जिसके लिये संघ ने इण्डिया अगेंस्ट क्रप्शन का मंच खड़ा कर दिया था आज उन मुद्दों का हुआ क्या है। 2जी स्कैम को अदालत ने कह दिया कि स्कैम हुआ ही नही। जिसमें मन्त्री, सांसद वरिष्ठ नौकरशाह और कॉरपोरेट घरानों के भी शीर्ष अधिकारी तक गिरफ्तार हुए थे। जिस पर पूरे देश का भविष्य बदल गया। आज जब उसपर यह सुनने को मिले कि यह तो घटा ही नही था तो उसके लिये किसे तमगा दिया जाये? इस मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमन्त्री मौन हैं क्योंकि लोगों ने अदालत का फैंसला देखा है। वह समझते हैं कि इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका क्या रही है। यह स्पष्ट हो चुका है कि मोदी सरकार और उनकी ऐजैन्सीयों ने जानबूझ कर इसकी सही पैरवी ही नही की। आज यह आम चर्चा है कि 2जी स्कैम पर आये फैसले के बाद मोदी तमिलनाडू में एडी एम के साथ चुनाव गठबन्ध करने जा रहे हैं क्योंकि जो जितना भ्रष्ट होगा उसे उतनी ही आसानी से अपने साथ मिलाया जा सकता है। कॉमनवैल्थ गेम्ज़ के मामलें को लेकर तो आज तक कहीं चर्चा तक नही है। आज जो पंजाब नैशनल बैंक का घपला सामने आया है उस पर भाजपा के लोग जिस प्रकार की सफाई देकर उसे यूपीए के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वह भूल रहे हैं कि 2014 से तो आप सत्ता में है और इसी भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिये तो आपको सत्ता सौंपी गयी थी। फिर आपने क्या किया खैर इस मामले पर वित्त मन्त्री अरूण जेटली ने पूर्व की कांग्रेस सरकार को नही कोसा है क्योंकि आज भाजपा के ही बड़े नेता को वित्त मन्त्री यशवन्त सिन्हा और सांसद शान्ता कुमार जैसे लोग अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं। लेकिन जेटली ने जिस ढंग से इस घपले के लिये बैंक के ऑडिटर्ज़ को भी जिम्मेदार ठहराया है उससे फिर यह सवाल उठता है कि यह बैंक सरकार का बैंक और ऑडिटर्ज़ सरकार के कर्मचारी हैं। उनपर तुरन्त कारवाई करना आपकी जिम्मेदारी है। आज बैकों के विलफुल डिफाल्टरज़ को लेकर 335 पन्नों की सूची बाहर आ चुकी है। जिसके मुताबिक यह राशी 4903180.79 लाख रूपये बनती है। यह लोगों का पैसा है बैकों की कार्यप्रणाली पर इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह और क्या हो सकता है? इस सद्धर्भ में अब यह सवाल पूछा जाने लगा है कि मोदी जी जनलोकपाल कहां है?

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

देश के 91 प्रमुख जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता में 2 प्रतिशत की कमी

22 फरवरी, 2018 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 60.665 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 37 प्रतिशत है। 15 फरवरी, 2018 को समाप्त सप्ताह के दौरान यह 39 प्रतिशत था। 22 फरवरी, 2018 का संग्रहण स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 88 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 91 प्रतिशत रहा।

क्षेत्रवार संग्रहण स्थिति

उत्तरी क्षेत्रः –

उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छ: जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में

कुल उपलब्ध संग्रहण 6.13 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 34 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 31 प्रतिशत थी जबकि पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 35 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से कम है।

पूर्वी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 11.10 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 59 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 66 प्रतिशत था जबकि पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 53 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

पश्चिमी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में सीडब्ल्यूसी की निगरानी में 31.26 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 12.61 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 40 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 49 प्रतिशत था। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 44 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 15.80 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 37 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 57 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 42 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

दक्षिणी क्षेत्र

दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना (टीजी), एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 15.02 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 29 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 22 प्रतिशत था। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 37 प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण से बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से कम है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (दोनों राज्यों में संयुक्त परियोजनाएं), कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम संग्रहण करने वाले राज्यों में पंजाब, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो मिश्रित परियोजनाएं), आंध्रप्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।

पसूका

अनियमित जमा योजना और चिट फंडों पर लगेगा पर प्रतिबंध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों की बचतों की रक्षा करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है: –

♦ अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 और (ख)चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य देश में गैर-कानूनी जमा राशि से जुड़ी समस्याओं से निपटना है। ऐसी योजनाएं चला रही कंपनियां/संस्थान वर्तमान नियामक अंतरों का लाभ उठाते है और कड़े प्राशासनिक उपायों के अभाव में गरीबों और भोले-भाले लोगों को ठगते हैं।

विवरण:

अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 देश में गैर-कानूनी बचत योजनाओं से जुड़ी बुराई से निपटने के लिए एक विस्तृत कानून इस प्रकार प्रदान करेगा,

♦ अनियमित जमा राशि से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण रोक

♦ अनियमित जमा राशि लेने वाली योजना को बढ़ावा देने अथवा उनके संचालन के लिए सजा

♦ जमाकर्ताओं को अदायगी करते समय धांधली के लिए कड़ी सजा

♦ जमा करने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा चूक की स्थिति में जमा राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति

♦ चूक करने वाले प्रतिष्ठान की संपत्ति कुर्क करने के लिए अधिकार देने सहित सक्षम प्राधिकार की शक्तियां और कामकाज

♦ जमाकर्ताओं की अदायगी की निगरानी और अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए अदालतों का गठन

♦ विधेयक में नियमित जमा योजनाओं को सूचीबद्ध करना, जिसमें सूची का विस्तार करने अथवा काट-छांट करने के लिए केन्द्र सरकार को सक्षम बनाने का खंड हो।

प्रमुख विशेषताएं: –

♦ विधेयक में प्रतिबंध लगाने संबंधी एक मूलभूत खंड हैं, जो जमा राशि लेने वाले को किसी भी अनियमित जमा योजना के लिए राशि लेने के लिए प्रोत्साहित करने, उसे प्रचलित करने, विज्ञापन जारी करने अथवा जमा राशि स्वीकार करने से रोकता है। इसका प्रमुख नियम यह है कि विधेयक अनियमित जमा राशि लेने वाली गतिविधियों पर रोक लगाएगा, इसे वर्तमान कानून और नियामक ढांचे के बजाय प्रत्याशित अपराध माना जाएगा, जो पर्याप्त समय के साथ यथार्थ निवेश पर लागू होगा।

♦ विधेयक में तीन अलग-अलग प्रकार के अपराध निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अनियमित जमा योजनाओं को चलाना, नियमित जमा योजनाओं में धांधली और अनियमित जमा योजनाओं को गलत तरीके से प्रोत्साहन।

♦ विधेयक में बचाव कार्य करने के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

♦ विधेयक में ऐसे मामलों में जमाराशि को निकालने अथवा उसकी अदायगी के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए है, जहां ऐसी योजनाओं के लिए अवैध तरीके से जमा राशि जुटाने में सफलता मिल जाती है।

♦ विधेयक में सक्षम प्राधिकार द्वारा संपत्तियों/परिसंपत्तियों को कुर्क करने और जमाकर्ताओं को अदायगी के लिए सम्पत्ति की अनुवर्ती वसूली का प्रावधान किया गया है।

♦ संपत्ति की कुर्की और जमाकर्ताओं को धनराशि लौटाने के लिए स्पष्ट समय निर्धारित किया गया है।

♦ विधेयक में एक ऑनलाइन केन्द्रीय डेटाबेस तैयार करने की व्यवस्था है जिससे देश में जमा करने की धनराशि लेने की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं एकत्र करने और उन्हें साझा करने की व्यवस्था होगी।

♦ विधेयक में 'जमाराशि लेने वाले' और 'जमाराशि' को विस्तार से परिभाषित किया गया है।

♦ 'जमाराशि लेने वालों' में धनराशि लेने वाली अथवा मांगने वाली सभी संभावित कंपनियां (व्यक्तियों सहित) शामिल होंगी। इनमें केवल उन विशिष्ट कंपनियों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्हें कानून द्वारा शामिल किया गया है।

♦ 'जमाराशि' को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि जमा राशि लेने वालों पर प्राप्तियों के रूप में जनता की जमा राशि को छिपाने से रोक होगी और साथ ही अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान किसी प्रतिष्ठान द्वारा धनराशि स्वीकार करने से रोक होगी।

♦ एक विस्तृत केन्द्रीय कानून होने के कारण विधेयक में कानून की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाया गया है साथ ही कानून के प्रावधानों को लागू करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है।

पृष्ठभूमि:

वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में गैर-कानूनी जमाराशि लेने वाली योजनाओं से जुड़ी बुराइयों से निपटने के लिए एक विस्तृत केन्द्रीय कानून लाने की घोषणा की थी। पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें गैर-कानूनी तरीके से जमा राशि लेने की योजनाओं के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। इस तरह की योजनाओं के सबसे अधिक शिकार गरीब और ऐसे लोग हुए जिनको वित्तीय मामलों की जानकारी नहीं थी और ऐसी योजनाएं अनेक राज्यों में चल रही थीं। साथ ही वित्त मंत्री ने अपने 2017-18 के बजट भाषण में घोषणा की कि गैर-कानूनी जमा योजनाओं की बुराइयों को कम करने के लिए एक विधेयक का मसौदा सार्वजनिक किया जाएगा और उसे अंतिम रूप देने के बाद जल्द ही पेश किया जाएगा।

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

प्रधानमंत्री नरेन्द्री मोदी के अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। चिट फंड क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि और चिट फंड उद्योग के रास्ते में आने वाली अड़चनों को समाप्त करने के लिए, साथ ही अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, चिट फंड कानून, 1982 में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है:

चिट फंड कानून, 1982 के अनुच्छेद 2(बी) और 11(1) के अंतर्गत चिट व्यवसाय के लिए 'बंधुत्व कोष' शब्द का इस्तेमाल उसकी अंतर्निहित प्रकृति को स्पष्ट करने और एक अलग कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित 'प्राइज चिट' से उसके कामकाज को अलग करना है।

चिट का ड्रॉ कराने के लिए कम से कम दो ग्राहकों की जरूरत को बरकरार रखते हुए और कार्यवाही की अधिकृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए, चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 में यह इजाजत देने का प्रस्ताव है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम से कम दो ग्राहक शामिल हों, जिसकी रिकॉर्डिंग चिट के अंतिम चरणों की दिशा में ग्राहकों की मौजूदगी के रूप में फोरमैन द्वारा की जाए। फोरमैन के पास कार्यवाही की अधिकृत रिपोर्ट होगी, जिस पर कार्यवाही के दो दिन के अंदर ऐसे ग्राहकों के हस्ताक्षर होंगे।

फोरमैन के कमीशन की अंतिम सीमा अधिकतम पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत करना, क्योंकि कानून के लागू होने तक दर अपरिवर्तनीय है, जबकि ऊपरी खर्चों और अन्य खर्चों में कई गुना वृद्धि हुई है।

फोरमैन को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह ग्राहकों से बकाये की राशि ले ताकि उन ग्राहकों के लिए चिट कंपनी द्वारा मुआवजे की इजाजत दी जा सके, जिन्होंने पहले से ही धनराशि निकाल ली है ताकि उनके द्वारा धांधली को रोका जा सके: और

चिट फंड कानून, 1982 के अनुच्छेद 85(ख) में संशोधन ताकि चिट फंड कानून तैयार करते समय 1982 में निर्धारित सौ रूपये की सीमा को समाप्त किया जा सके, जो अपना महत्व खो चुकी है। राज्य सरकारों को सीलिंग निर्धारित करने और उसमें समय-समय पर वृद्धि करने की इजाजत देने का प्रस्ताव किया गया है।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

शहरी विकास कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच करार

स्मार्ट शहरों में बुनियादी सेवाएं और आवास उपलब्ध कराने के लिए जरूरी योजनाएं विकसित और लागू करना एकीकृत योजना, किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं में तकनीकी सहयोग के उपायों में मदद करना: हरदीप पुरी

स्मार्ट शहरों तथा टिकाऊ शहरी विकास कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच आज यहां एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित और स्मार्ट शहरों में शहरी बुनियादी सेवाओं और आवास की उपलब्धता के लिए उपयुक्त अवधारणाएं विकसित करना और उन्हें लागू करना है। समझौता ज्ञापन पर आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भारत में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर मार्टिन ने की मौजूदगी में भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय में अपर सचिव राजीव रजंन मिश्रा तथा जर्मनी की ओर से सस्टेनेबल अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूश गेसेलस्फाफ्ट फुर इंटर नेशनल जुसमानेबेरट (जीआईजेड) जीएमबीएच इंडिया की उप कंट्री डायरेक्टर एनेट रॉकल, तथा क्लस्टर समन्वयक तनजा फेल्डमैन की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद हरदीप पुरी ने कहा कि तकनीकी सहयोग के उपायों से एकीकृत योजना, किफायती आवास तथा बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता के नजरिए से टिकाऊ विकास में मदद मिलेगी और इससे पानी, अपशिष्ट जल और ठोस कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।

'टिकाऊ शहरी विकास कार्यक्रम – भारत में स्मार्ट शहर' परियोजना को जर्मनी के आर्थिक सहयोग और

विकास मंत्रालय की ओर से मदद दी जा रही है। इसे भारत के आवास और शहरी विकास मंत्रालय तथा ड्यूश गेसेलस्काफ्ट फुर इंटरनेशनल जुसमानेबेरट (जीआईजेड) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया है।

भारत सरकार को परियोजना में दी जा रही इस मदद के जरिए राष्ट्रीय शहरी मिशन कार्यक्रमों जैसे स्मार्ट शहर मिशन के तहत टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने के उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना है जिसके तहत सतत विकास लक्ष्य नंबर 11 के साथ जुड़ते हुए शहरों को समावेशी, सुरक्षित, अनुकूल और स्थायी बनाया जा सके। इस परियोजना में जर्मनी 80 लाख यूरो की आर्थिक मदद दे रहा है। यह परियोजना तीन वर्षों की अवधि (2018 से दिसंबर 2020 तक) जारी रहेगी।

आवास और शहरी विकास मंत्रालय तथा जीआईजेड भारत मिशन के कार्यान्वय के लिए संयुक्त रूप से काम करेगा ताकि टिकाऊ विकास के लिए बनाए गए राष्ट्रीय विकास फेमवर्क के अनुपालन के लिए सर्वाधिक अनुकूल तरीका इस्तेमाल किया जा सके और शहरी विकास पर सफल रहे तरीकों को बढावा दिया जा सके। इसके अलावा इसमें चयनित तीन शहरों में किफायती आवास और बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पर नवोन्मेष को बढावा देने तथा पायलट स्तर पर काम करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। आवास और स्वच्छता के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में पिछले तकनीकी सहयोग के उपायों से प्राप्त अनुभवों और सीख को नई परियोजना में समाहित किया जाएगा।

महिला पटवारी के साथ मारपीट और छेड़छाड़, आरोपी फरार

शिमला/शैल। कांगड़ा जिले के इंदौरा में महिला पटवारी के साथ दफ्तर में मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। वहीं नामजद आरोपी को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। यह घटना 16 फरवरी को घटी थी। कांगड़ा जिले के पटवारियों

ने इस मामले में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की।

जिला कांगड़ा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के ग्राफ में दिन-ब-दिन इजाफा होता जा रहा है। इंदौरा के पास काठगढ़ में कार्यरत महिला पटवारी ने उसके साथ एक ग्रामीण द्वारा मारपीट करने और गाली-गलौच करने का मामला सामने आया है। महिला पटवारी ने आरोप लगया कि उसके साथ यह घटना 16 फरवरी को हुई थी और अभी तक पुलिस कथित अपराधी को पकड़ नहीं पाई है।

महिला पटवारी शालिनी खन्ना इंदौरा के काठगढ़ पटवारखाने में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि कथित आरोपी ने उन पर दफ्तर के अंदर आकर उनसे मारपीट की। महिला पटवारी ने कहा कि आरोपी उनके पास अपनी जमीन के दस्तावेज लेने के लिया आया था और शराब पी रखी थी। पीड़िता ने कहा कि 'जब मैंने उसे कहा कि यह रिकॉर्ड अब इंटरनेट से मिलेगा तो उसने मारपीट शुरू कर दी और काफी गाली गलौच भी की।'

इस संबंध में जिला कांगड़ा के सभी पटवार circles से आए पटवारियों ने जिला उपायुक्त संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा और कथित अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही पटवारखानों में चौकीदार को तैनात करने की भी मांग रखी।

जिला उपायुक्त ने इस मामले के रिपोर्ट जानने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश गुप्ता को तलब किया। ASP कांगड़ा ने इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही साथ ही कहा कि आरोपी की टैलिफोन कॉल्स डिटेल को हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी वारदात के दिन से ही कहीं छुप गया है और उसे पुलिस जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है।

कांगड़ा जिला पुलिस पिछले कुछ दिनों से संदेह की घेरे में है। लगातार पुलिस की नाकामी के एक के बाद एक मामले आने से कानून व्यवस्था के स्तर में गिरावट दर्ज होने लगी है। 16 फरवरी को हुई इस घटना के बाद अभी तक आरोपी का ना पकड़ा जाना एक और सबूत है।

सूखे की मार: अब तक 97 करोड़ का हो चुका है नुकसान

शिमला/शैल। प्रदेश में इस बार सर्दियों में हुई कम बारिश की मार किसानों पर खूब पड़ी है। बारिश न होने से कृषि क्षेत्र को हर दिन नुकसान हो रहा है। फसलें सूख रही हैं और किसान लाचार होकर आसमान की तरफ टकटकी लगाए हैं। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और ऊना जिले में हुआ है। इस बार अभी तक कृषि क्षेत्र में सूखे के कारण नुकसान का आंकड़ा दिनोंदिन बढ़ रहा है। कृषि विभाग को जिलों से मिली

रिपोर्ट के मुताबिक सूखे से अब तक 97 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान गेहूं, सरसों, आलू और दालों आदि को हुआ है। इसके अलावा अन्य फसलें भी सूखे की चपेट में आ रही है। वहीं सब्जी लगाने में भी किसानों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बारिश न होने से जमीन में नमी नहीं है और सूखे के कारण सब्जियों की पनीरी लगाने में दिक्कत हो रही है। उधर, कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने विभाग से सूखे कारण कृषि को हो रहे नुकसान के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई है और राज्य में कृषि फसलों को 97 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। अभी सभी जिलों से डीसी के माध्यम से रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में सूखे से नुकसान का आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं बागवानी को भी सूखे से नुकसान हो रहा है और स्टोन फूट को ज्यादा नुकसान हो सकता है। डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि राज्य में सूखे के कारण कृषि पर विपरीत असर पड़ रहा है। सारी रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी और केंद्र ये सूखे से हुए नुकसान की भरपाई का आग्रह किया जाएगा।

इस बार बारिश न होने से बनी सूखे की स्थिति से फसलों को नुकसान हो रहा है। बताते हैं कि अभी तक गेहूं की फसल को 54 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं, सब्जियों को भी 34 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस बार ये हालात चार माह से ज्यादा समय से बारिश न होने कारण बने हैं और किसान सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष मानसून के बाद से बहुत कम बारिश हुई है। इस साल जनवरी और फरवरी में 77 फीसदी कम बारिश हुई है। वहीं पिछले वर्ष मानसून के बाद न के बराबर बारिश हुई है। इस कारण कृषि को नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान की अपील

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में गरीबों, जरूरतमंदों तथा पीड़ित मानवता की सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से अनेक अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें तकनीकी/व्यावसायिक अध्ययन कर रहे गरीब मेधावी विद्यार्थियों को सहायता, कम वित्तीय संसाधनों वाले व पीड़ित बच्चों को सहायता, विधवाओं को बच्चों के भरण-पोषण के लिए राहत राशि, राष्ट्र के लिए बहुमूल्य सेवाओं के लिए मैरिट आधार पर कवियों और विद्वानों के लिए राहत राशि, प्राकृतिक आपदाओं, परिवार के कमाने वाले सदस्य के आकस्मिक निधन व कुछ गंभीर बीमारियों के लिए सहायता राशि प्रदान करना शामिल है।

पीड़ित मानवता की सहायता के लिए स्थापित मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी सरकारी संस्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, निगमों, बोर्डों व अन्य उपक्रमों के अलावा समाज के सभ्रांत वर्ग से इस कोष में उदारतापूर्वक अशंदान करने की अपील की गई है। इस निधि के लिए किया गया अंशदान पूरी तरह आयकर से मुक्त है।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान चैक, बैंक ड्राफ्ट, नकद अथवा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 4060100315 में ऑनलाईन किया जा सकता है, जिसका आईएफएससी कोड: एचपीएससी 0000406 है। ऑनलाईन वैबपोर्टल भी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री की आशीष कुमार को कांस्य पदक जीतने पर बधाई

शिमला/शैल। मण्डी जिले के सुन्दरनगर के बॉक्सर आशीष कुमार ने इंडोनेशिया में एशियन ट्रॉयल खेलों में कांस्य पदक हासिल किया है।

आशीष कुमार ने हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं निदेशक कोचिंग बॉक्सिंग फेडरेशन राजेश भण्डारी के साथ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मुलाकात की।

मुख्यमंत्रि ने इस उपलब्धि के लिए आशीष को बधाई दी और कहा कि प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य से अनेक युवा खिलाड़ियों ने क्रिकेट, कबड्डी, शूटिंग, स्कीइंग, पर्वतारोहण इत्यादि विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वयं को साबित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उभरते खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त खेल अधोसंरचना प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि आशीष कुमार भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयास जारी रखेगे।

सौ फीसदी लक्ष्यों को हासिल करें अधिकारी–विपिन सिंह परमार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने राज्य के सभी अस्पतालों चिकित्सकों को आवश्यक रूप से जेनेरिक दवाईयां लिखने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाईयां न लिखने से कहीं न कहीं गरीब लोगों के साथ अवश्य अन्याय होता है और राज्य सरकार के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ बनें, के प्रयास हतोत्साहित होते हैं।

परमार राज्य के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व खण्ड चिकित्सा अधिकारियों के साथ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिये आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से सभी अस्पतालों में समय पर दवाईयां उपलब्ध करवाने के लिये कहा। यही नहीं, दवाईयों की समय-समय पर सैंपलिंग करने के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि दवाईयों की गुणवत्ता पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है और सैंपल फेल होने पर दोषी कंपनियों के विरूद्ध सख्ती से निपटा जाएगा।

उन्होंने राज्य के सभी अस्पतालों, विशेषकर शौचालयों के रखरखाव तथा रसोईघर की सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में लोग स्वास्थ्य लाभ के लिये आते हैं, इसलिये सफाई को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि अधिक समय तक लंबित रहने के कारण लागत न बढ़े और लोगों को समय पर लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों की निजी तौर पर निगरानी करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मंत्री ने 108-एम्बुलेंस तथा 102-एंबुलेंस सेवाओं के औचक निरीक्षण करने के लिये भी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 108-एंबुलेंस में आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयां, आक्सीजन तथा अन्य उपकरणों की उपलब्धता होना अनिवार्य है।

स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं का लाभ जनमानस तक पहुंचाने के लिये सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी दिये गए लक्ष्यों को 31 मार्च तक हासिल करें और साथ ही आबंटित धनराशि का सौ फीसदी उपयोग करें।

परमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जिले के स्वास्थ्य संस्थानों के औचक निरीक्षण करने तथा इनमें पाई जाने वाली कमियों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए और उपकरणों व मशीनरी को सही हालत में रखा जाना चाहिए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद् का शीघ्र किया जाएगा गठन: परिवहन मंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश में राज्य स्तरीय परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद् का शीघ्र गठन किया जाएगा, जिसमें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों, परिवहन से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। यह जानकारी परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने परिवहन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2018 तक सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ विचार-विमर्श करने के उपरान्त स्कूलों व कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को भी सड़क सुरक्षा योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी उपायुक्तों को जिला स्तरीय सड़क समीक्षा समितियों की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं।

गोविन्द ठाकुर ने प्रदेश के बद्दी तथा ऊना में प्रस्तावित परिवहन नगर स्थापित करने के कार्य को शीघ्र आरम्भ करने के लिए भी परिवहन विभाग को निर्देश दिए।

हिमाचल प्रदेश सरकार

जय राम ठाकुर
मुख्य मंत्री
हिमाचल प्रदेश

अपील

मुख्य मंत्री राहत कोष

मानव जीवन अनमोल है। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। हम निर्धन एवं निर्बल जनों के कष्ट कम कर सकें, ज़रूरतमदों का सहारा बन सकें, उनके जीवन में आशा के नए रंग भर सकें, यही हमारा कर्त्तव्य और प्रयास भी है।

हिमाचल प्रदेश में 'मुख्य मंत्री राहत कोष' संकट की घड़ी में ज़रूरतमंदों की ओर मदद का हाथ बढ़ाता है। 'मुख्य मंत्री राहत कोष' से गम्भीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार, प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान में राहत, परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर राहत, बेसहारा विधवाओं को बच्चों के पालन-पोषण के लिए राहत, ग़रीब परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पीड़ित मानवता की सहायता के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ज़रूरतमंद जन-मानस की सहायता का विशाल कार्य व्यापक जन-सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि इस पुनीत कार्य के लिए हमारी सरकार के केवल डेढ़ माह के कार्यकाल में 15 फरवरी 2018 तक 2,55,97,202 रुपये का अंशदान दानी सज्जनों, संस्थाओं आदि ने किया है और 38 लाख 68 हज़ार 600 रुपये की राशि 97 लाभार्थियों को सहायता के रूप में वितरित की गई।

मैं इस अंशदान के लिए आप का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि यह अंशदान बेसहारा, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के जीवन का अंधियारा दूर कर उनके जीवन में खुशहाली लाने में मददगार साबित होगा।

मुख्य मंत्री राहत कोष में दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80-G के अंतर्गत आयकर से मुक्त है।

मैं सभी से करबद्ध आग्रह करता हूँ कि 'मुख्य मंत्री राहत कोष' में योगदान देकर पीड़ित मानवता की सेवा के पुनीत कार्य में भागीदार बनें। मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए आप अपनी सहयोग राशि चैक या ड्राफ्ट द्वारा 'मुख्य मंत्री राहत कोष', मुख्य मंत्री कार्यालय, एलर्जली भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171 002 के नाम भेज सकते हैं अथवा हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक में खाता संख्या 4060100315 (IFSC Code: HPSC0000406) में जमा कर सकते हैं।

'मुख्य मंत्री राहत कोष' में अंशदान के लिए पुनः आभार।

(जय राम ठाकुर)

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

आखिर क्यों कर रहे है वीरभद्र सुक्खु का विरोध

शिमला/शैल। वीरभद्र ने एक बार फिर सुक्खु को पद से हटाने की मांग की है। यही मांग उन्होने विधानसभा चुनावों से पूर्व भी की थी। उस समय इसी मांग के कारण हाईकमान ने वीरभद्र को फिर से मुख्यमन्त्री का चेहरा घोषित किया था और चुनाव की पूरी बागडोर उनके हाथ में दे दी थी। चुनाव की पूरी कमान मिलने से ही 68 में से 56 टिकट उन्होने अपनी पंसद के लोगों को दिये और केवल 15 ही इनमे से जीत पाये। दूसरी ओर संगठन के खाते में केवल 15 टिकट आये जिनमें से 6 पर जीत हासिल हुई। पार्टी के भीतर का यह सच तब सामने आया जब सुक्खु ने वीरभद्र को पलटकर आईना दिखाया।

स्मरणीय है कि अप्रैल 83 में वीरभद्र ने प्रदेश की बागडोर संभालने से पूर्व तत्कालीन मुख्यमन्त्री स्व. रामलाल ठाकुर के खिलाफ फॉरैस्ट माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए एक पत्र प्रदेश के विधायकों और सांसदो के नाम लिखा था और यह पत्र उन्ही के लोगों ने सार्वजनिक भी कर दिया था। उस समय स्व. हेमवत्ती नन्दन बहुगुणा कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बगावत पर उतर आये थे। यह आशंका बन गयी थी कि इस बगावत का असर स्व. ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ सकता है। क्योकि बहुगुणा के साथ वीरभद्र की पांवटा साहिब और बड़ोग में हुई दो बैठके सार्वजनिक हो चुकी थी और उस समय दलबदल विरोधी कानून तो था नही। इस परिदृश्य में इस संभावित डैमेज को कन्ट्रोल करने के लिये ही रामलाल को राज्यपाल और वीरभद्र को प्रदेश का मुख्यमन्त्री बनाया गया था। लेकिन जिस फॉरैस्ट अपराध के खिलाफ झण्डा उठाने का दावा करके वीरभद्र सत्ता में आये थे उसका आज का कडवा सच यह है कि वीरभद्र का रोहड़ू वनभूमि पर हुए अवैध अतिक्रमणों में पहले स्थान पर है। इसका दूसरा सच रामलाल सूरी की शिकायत पर आयी लोकायुक्त की रिपोर्ट में भी दर्ज है।

1983 के बाद 1993 में विधानसभा का घेराव करवाकर वीरभद्र कैसे मुख्यमन्त्री बने थे इसके तो सुशील कुमार शिंदे भी स्वयं गवाह रहे हैं क्योंकि वह तब भी प्रदेश के प्रभारी थे। 1993 के बाद 1998 में छः दिन के लिये और फिर 2003 और 2012 में किस तरह से दबाव की राजनीति करके मुख्यमन्त्री बने है इसकी जानकारी प्रदेष की राजनीति की खबर रखने वालों को है। वीरभद्र अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को मानहानि दावे करके कैसे दबाने का प्रयास करते आये हैं इसे शान्ता कुमार, विजय सिंह मनकोटिया और शैल के संपादक बलदेव शर्मा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन मानहानि के एक भी मामले को वीरभद्र अन्तिम मुकाम तक नही ले जा पाये हैं। हर मामला अन्ततः वापिस

लिया गया है। जब से वीरभद्र ने प्रदेश की बागडोर संभाली है वह एक बार भी सत्ता में रिपिट नहीं कर पाये हैं। वीरभद्र जिस तरह की राजनीति करते आये हैं शायद उसी का परिणाम है कि वह आज अपने अन्तिम पड़ाव में सीबीआई और ईडी के मामले झेल रहे हैं। 2014 में प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस ने इन्ही आरोपों के कारण हारी है यह सब जानते हैं। ईडी ने जब मुख्य अभियुक्तों को छोड़कर सहअभियुक्त एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को गिरफ्तार किया था उसी समय कुछ हल्कों में यह संकेत चला गया था कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव नही जितेगी और वही हुआ भी है। अब लोकसभा चुनावों से पहले एक और सहअभियुक्त वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर की गिरफ्तारी से फिर यह संकेत गये हैं कि कांग्रेस लोकसभा नही जितेगी क्योकि वक्कामुल्ला की गिरफ्तारी से यह आशंका तो प्रबल हो ही गयी है कि ईडी आने वाले समय में वीरभद्र और उनके विधायक बेटे विक्रमादित्य को भी पकड़ सकती है। क्योंकि फार्म हाऊस तो विक्रमादित्य सिंह की कंपनी के नाम है और इसमें हुए निवेश का 90 लाख रूपया वीरभद्र से गया है। यदि यह सारा निवेश मनीलॉंड्रिंग है तो इसे केवल वीरभद्र और विक्रमादित्य ही स्पष्ट कर सकते हैं इसके खुलासे के लिये गिरफ्तारी की संभावना से इन्कार तो नही किया जा सकता है।

ऐसे में इस समय वीरभद्र का एक मात्र मकसद इस संभावित गिरफ्तारी से बचना है। जबकि मोदी और अमितशाह की गंभीरता और प्राथमिकता तो लोकसभा चुनाव जीतना है। उनके लिये भ्रष्टाचार तथा उसके खिलाफ कारवाई कोई मायने नही रखती है। वीरभद्र को गिरफ्तारी से बचाने के लिये कई और सहअभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वीरभद्र के बचने के साथ भाजपा मोदी को तो हिमाचल चाहिये और इसके लिये कांग्रेस का कमज़ोर होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिये पार्टी के भीतर एक बडी लड़ाई खड़ी करना आवश्यक है जो कि सुक्खु को इस तरह घेर कर ही संभव है। राजनीतिक विष्लेशकों के मुताबिक वीरभद्र सिंह द्वारा सुक्खु को हटाने की मांग करना अपरोक्ष में भाजपा को मजबूत करना हो जाता है क्योंकि जहां सारा कांग्रेस संगठन प्रदेश के भाजपा सांसदो से उनके पांच वर्षो की सांसद निधि खर्च करने का हिसाब मांग रहा है वहीं पर सुक्खु को हटाने की मांग करना कांग्रेस की इस आक्रामकता को बन्द करने का प्रयास बन जाता है।

गुड़िया प्रकरण में सीबीआई जांच पर भी एक अभियुक्त ने उठाये सवाल

कण्डा जेल से सीबीआई कोर्ट को भेजा पत्र

शिमला/शैल। पिछले दिनों जब डीजीपी एस आर मरढ़ी कैथु जेल में बन्द शिमला के पूर्व एसपी डी डब्लू नेगी को मिले थे। तब इस मुलाकात को लेकर एक अलग ही चर्चाओं का दौर चल पड़ा था। इस पर उठी चर्चाओं के कारण ही डीजीपी जेल सोमेश गोयल ने अधीक्षक से इस बारे में स्पष्टीकरण मांग लिया था। सूत्रों के मुताबिक जेल अधीक्षक ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि वह डीजीपी के आदेश की अवहेलना नही कर सकते थे। इसमें यह भी कहा गया है कि यह मुलाकात जेल में नही बल्कि उनके कार्यालय में अन्य लोगों के सामने हुई थी और इसमें गुप्त कुछ भी नही रहा है। इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए मरढ़ी ने भी कहा है कि उनका नेगी से मिलना नियमों के विरूद्ध नही था। नेगी का स्वास्थ्य ठीक नही चल रहा था और उनसे यह मुलाकात एक शिष्टाचारा भेंट थी क्योंकि वह पूर्व परिचित थे। जेल अधीक्षक को जवाब और मरढ़ी की प्रतिक्रिया के बाद डीजीपी जेल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नही आयी है।

इस मुलाकात के बाद गुड़िया प्रकरण में जेल में बन्द जैदी समेत सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सरकार ने मुकद्दमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। परन्तु अभी तक डीडब्लू नेगी के खिलाफ चालान पेश नही हुआ है और उनके खिलाफ अभी तक अनुमति की नौबत नही आई है। लेकिन इस मुलाकात और मुकद्दमें की अनुमति दिये जाने के बाद इस प्रकरण में बन्द एक पुलिस कर्मी का सीबीआई कोर्ट को लिखा एक कथित पत्र वायरल हो गया है। वायरल हुए इस पत्र में सीबीआई जांच पर ही गंभीर सवाल उठा दिये गये हैं। आरोप लगाया गया है कि सीबीआई ने जानबूझकर असली गुनाहगारों को बचाया है तथा निर्दोशों को फंसाया है। पत्र लिखने वाले ने दावा किया है कि उसने सीबीआई को सारी सच्चाई बता दी थी लेकिन इसे जानबूझक नज़रअन्दाज करके उसे फंसाया जा रहा है। उसने गुड़िया मामले की जांच सीबीआई की बजाये सीआईडी या

एनआईए से करवाये जाने की मांग की है। यह पत्र कण्डा जेल में बन्द एक कैदी द्वारा लिखा गया है। कण्डा जेल के अधिकारियों ने ऐसा पत्र लिखे जाने की पुष्टि करते हुए यह भी बताया कि उन्होने यह पत्र संवद्ध अधिकारियों को भेज दिया था। स्मरणीय है कि इस प्रकरण में जो पुलिस अधिकारी/कर्मी जेल में बन्द हैं उनके खिलाफ गुड़िया प्रकरण में पकड़े गये एक कथित अभियुक्त की पुलिस कस्टड़ी में हुई मौत का मामला चल रहा है। गुड़िया की हत्या और गैंगरेप के लिये पुलिस ने जितने लोगों को पकड़ा था उन्हे इस मामले की जांच सीबीआई के पास जाने के बाद अन्ततः अदालत ने छोड़ दिया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई चालान दायर नहीं हो पाया था। इन्ही पकड़े गये दोषीयों में से एक की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गयी थी। इस हत्या के दोष में पुलिस अधिकारी/कर्मी कण्डा और कैथु जेल में है। पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के लिये कौन सही में जिम्मेदार है इसे सीबीआई भी अपनी जांच में चिन्हित नही कर पायी हैं। अभी तक सभी को सामूहिक रूप से ही जिम्मेदार ठहराया गया है और कानून की दृष्टि से यही इस जांच का सबसे कमजोर पक्ष है। अब जब पुलिस कस्टडी मे हुई हत्या की जांच पर ही एक कथित अभियुक्त ने सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिये हैं तो इससे यह मामला और उलझ जाता है। पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के लिये जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ अदालत में चालान दायर हो चुका है। चालान के मुताबिक कस्टडी में हुई हत्या का मकसद कथित दोषीयों से अपराध स्वीकार करवाना ही रहा है लेकिन चालान मे यह स्पष्ट नही किया गया है कि इन लोगों से गुड़िया की हत्या और रेप की स्वीकारोक्ति करवाने से किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा था। इस रहस्य पर से सीबीआई भी पर्दा नही उठा पायी है। अब सीबीआई पर ही पक्षपात का आरोप लगने से यह मामला और पेचीदा हो गया है।

अब इस पूरे प्रकरण पर संयोगवश एक और उलझन तथा चर्चा चल पड़ी है कि अब हाईकोर्ट के खुलने के बाद सीबाआई को गुड़िया मामले में पुनः स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में रखनी है। गुड़िया मामले में छः तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी और दस तारीख को ही उच्च न्यायालय ने इसे अपने संज्ञान में ले लिया था। संभवतः यह पहला मामला है जिसका अदालत ने इतना शीघ्र संज्ञान ले लिया था। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर लगातार नजर रखने के बावजूद अभी तक कोई परिणाम नही निकला है। अब मरढ़ी के नेगी को मिलने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ मुकद्दमें की अनुमति दिये जाने और कण्डा जेल से इसी मामले में बन्द एक कथित अभियुक्त द्वारा पत्र लिखकर सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठाना सब एक साथ घटने से इस मामले के और उलझने के संकेत मान जा रहें हैं क्योंकि जब कस्टडी में हुई हत्या की जांच पर ही सवाल खड़ा हो जायेगा तो गुड़िया का मूल मामला तो और पीछे चला जायेगा।